



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

✉ cwlweg@gmail.com, apecfwildlife@gmail.com

(☎ 0771-2512880, ☎ 0771-2512881)

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-536/266

नवा रायपुर, दिनांक :-25.01.2022

प्रति

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
अरण्य भवन, अटल नगर,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय- धमतरी जिले के उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के पंजीयन बाबत।

संदर्भ- 1. आपका पत्र क्रमांक 8075 दिनांक 20.12.2021
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर का पत्र क्रमांक/173 दिनांक 18.01.2022

-00-

विषयांतर्गत लेख है उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के संबंध में मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर के अभिमत पर सहमति व्यक्त करते हुये उक्त प्रकरण का पंजीयन करने हेतु अनापत्ति प्रदाय की जाती है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-536/267

नवा रायपुर, दिनांक :-25.01.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

O/C

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण
सह मुख्य अभिरक्षक) छत्तीसगढ़
अटल नगर, रायपुर

विषय :-

धमतरी जिले के उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत वन
संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विकासखण्ड
नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच
मार्ग का निर्माण के पंजीयन बाबत।

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्रमांक/च.प्रा./प्रबंध-536/4795 दि. 29.12.2021 एवं पृ. क्र./च.प्रा./प्रबंध-536/4796 दि. 29.12.2021.
2. उप निदेशक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद का पत्र क्र./मा.चि./सी/248 दि. 14.01.2022.

—00—

विषयांतर्गत निवेदन है कि उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के
तहत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन बाबत विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प
के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के लोक निर्माण विभाग (यूजर एजेंसी) द्वारा पंजीयन कराये जाने के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिमत चाहा गया है जिसके अनुक्रम में संबंधित अधीनस्थ कार्यालय के संदर्भित पत्र क्र.
(2) के द्वारा उन्हें उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु आपत्ति नहीं होना सूचित किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में उप निदेशक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व के संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त अभिमत
से इस कार्यालय सहमति व्यक्त कर संदर्भ क्र. (2) की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही संलग्न
सम्प्रेषित है।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक/क्षे.सं.रा./ मा.चि./2022/174

प्रतिलिपि :-

1. उप निदेशक उदन्ती - सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में
सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रायपुर सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे,
सिविल लाईन्स रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर
रिजर्व, रायपुर (छत्तीसगढ़)
रायपुर, दिनांक: 18/01/2022

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर
रिजर्व, रायपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



Email ID:-ddustr@gmail.com,

deputydirectorustr@gmail.com

Ph.No. 07706-241229

क्र./मा.चि./सी/२४८

गरियाबंद, दिनांक 14/01/2022

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
एवं क्षेत्र संचालक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
रायपुर

विषय :- धमतरी जिले के उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण के पंजीयन बाबत।

संदर्भ:- 01.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का पृ क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-536/4796 दिनांक 29.12.2021
02.आपका पत्र क्रमांक/क्षे.सं.रा./मा.चि./2022/154 दिनांक 14.01.2022

—0000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के संबंध में प्रकरण पर पंजीयन किये जाने हेतु अभिमत/अनापत्ति चाही गई है।

चूंकि निर्माण स्थल आबादी से लगा हुआ क्षेत्र है तथा आवागमन होने के कारण बरसात में आने जाने में ग्रामीणों को असुविधा होती है। आवागमन के सुविधा हेतु पुल/पहुंचमार्ग के निर्माण की आवश्यकता है, निर्माण कार्य से वनों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी और न ही वन्यप्राणियों की सुरक्षा में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः उक्त प्रकरण के पंजीयन किये जाने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

उपनिदेशक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद

पृ.क्र./मा.चि./सी/२४९

गरियाबंद, दिनांक 14/01/2022

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

उपनिदेशक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद